निविदा बेचे जाने की दिनांक.....समय.....तक
निविदा प्राप्ति दिनांक.....समय.....तक
निविदा खोले जाने की दिनांक.....समय.....तक

निविदा प्रारूप

1. .....(वस्तुओं का नाम जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है) के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता
   .....
   .....
   .....
   .....
3. किसको सम्बोधित किया गया–
4. संदर्भ–
5. निविदा शुल्क की राशि .....नकद रसीद संख्या .....एवं दिनांक..... .....द्वारा / डी.डी. संख्या .....दिनांक.....के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6. मैं/हम .....द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या .....दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।)
7. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गयी है :–

क्र.सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण स्पेसिफिकेशन	दर	शुद्ध मूल्य	मत्रा
1	2	3	4	5

केवल मूल्य कीमत–समस्त अन्य लेवियां – उत्पादन शुल्क, केन्द्रिय विक्रय कर, राजस्थान (वैट) कर, चुंगी कर (यदि कोई हो), कार्टेज, पैकिंग आदि का पृथक से उल्लेख किया जाएगा। किन्हीं डिस्काउन्टों का यथा मात्रात्मक डिस्काउन्टों एवं अन्यों छूटों का भी विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाएगा।

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से ..... की अवधि के भीतर माल सुपुर्दगी कर दी जाएगी।
   माल की सुपुर्दगी निम्न प्रकार से की जाएगी :–
   मात्रा .....अवधि/ दिनांक, यदि कोई हो .....
9. ऊपर उद्धत की गयी दरें.....तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
10. इसके साथ आयकर चूकती प्रमाण–पत्र, वैट कर पंजीयन एवं वेट कर चूकती प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है।
11. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न की गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील
(नाम व पता)

स्टेशनरी कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्तें

1. निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्तें इस निविदा का भाग मानी जावेगी।
2. केवल विधिवत भरे हुए फार्म में दी गई दरें ही मान्य होंगी।
3. अमानत राशि रुपये 20,000/– जमा कराने की राशि/बैंक ड्राफ्ट (लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में नियमानुसार छूट देय होगी) निविदा के साथ जमा कराना होगा।
4. यदि फर्म लघु उद्योग इकाई है तो सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग का स्थाई प्रमाण पत्र।
5. यदि फर्म नई स्थापित है तो सरकार से मान्यता प्राप्त बैंक से परिचय पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
6. बकाया राशि राजस्थान की लघु उद्योग इकाईयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और अमानत राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी। अतः यदि लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, निदेशक उद्योग द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति या राजपत्रि अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करेंगे।
7. प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।
8. कागज, विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल आदि की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
9. निविदा के साथ धरोहर राशि महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार्य होगी।
10. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश की सामग्री समय पर सप्लाई करने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
11. बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा एवं निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
12. निविदादाता निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।

13. निविदा फार्म में किसी प्रकार की कांट छांट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जावे तो पुनः स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर इस पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे।
14. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को होगा।
15. निर्धारित समय में सामग्री सप्लाई नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियमानुसार लिक्विडेटेड राशि वसूल की जावेगी।
16. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री सप्लाई करने में असफल रहने पर महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित सामग्री अन्य से क्रय कर सकेंगें। इसके साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जावेगी।
17. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण करने पर महाप्रबंधक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गये आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
18. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (भाग–2 के नियम 68 "खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें") के अनुसार लागू होगी।
19. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक ..... को अपराह् 02.00 बजे तक महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के कक्ष में प्राप्त किये जावेंगे। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. निविदादाता को जी.एस.टी. कर पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
21. आपसी सहमति होने पर उपरोक्त दरों व शर्तो पर कार्यदेश आगे भी बढाया जा सकेगा।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समक्ष लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धिक रहूंगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिए नियम 68)

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं :– निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. 11 प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (प) फर्म आदि के गठन के किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
   (पप) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा। जब तक की वे समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण–पत्र :– कोई भी डीलर यदि उस राज्य में प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरे शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धिया करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल किया जाना चाहिए।
8. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साई, मेक एवं ड्राइग आदि के आशय के बारे में